

**बिहार सरकार**  
**अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।**

**अधिसूचना**

संख्या-1जी/ई०जि०क०-20-25/2014-.....अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कल्याण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कॉलम-4 में अंकित प्रमंडल/जिला में स्थानांतरित किया जाता है, जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापित स्थान	नव पदस्थापित प्रमंडल एवं जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उप निदेशक, कल्याण, पटना	सहायक मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना	कार्यहित एवं अभ्यावेदन के आधार पर
2	श्री वीरेन्द्र चौधरी	सहायक मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना	उप निदेशक, कल्याण, पटना	कार्यहित में
3	श्री पवन कुमार मिश्रा	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार	कार्यहित एवं अभ्यावेदन के आधार पर
4	श्री गर्भु मंडल	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
5	श्री सुनील कुमार शर्मा	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
6	श्री आनन्द	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
7	श्री बलवंत बहादुर पांडेय	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
8	श्री दिनेश कुमार पांडेय	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा	कार्यहित में
9	श्री अशोक कुमार नागवंशी	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, अरवल	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर	कार्यहित में
10	मो० मनोवर अंजुम	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया	कार्यहित में
11	श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया	प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	कार्यहित में

- 2- अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 3- सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित स्थान पर अविलंब योगदान समर्पित करें अन्यथा दिनांक 01.02.2015 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। स्थानान्तरित पदाधिकारियों का माह फरवरी, 2015 का वेतन नये पदस्थापित स्थान से भुगतेय होगा।
- 4- सभी संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि योगदान प्रतिवेदन से विभाग को सूचित करें। स्थानान्तरित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 5- पूर्व में निर्गत आदेश इस हद संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1जी/ई0जि0क0-20-25/2014-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 सहित आगामी राजपत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1जी/ई0जि0क0-20-25/2014- 178

पटना, दिनांक- 28/01/15

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, कल्याण/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों का माह फरवरी, 2015 से वेतन नव पदस्थापित स्थान एवं जिला से किया जायेगा।

  
28/1/15

सरकार के सचिव।

  
28/1/15